

भारत सरकार  
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

# भारतीय तार अधिनियम, 1885

(1885 का अधिनियम संख्या 13)

[1 जुलाई, 1993 को यथाविद्यमान]

The Indian Telegraph Act, 1885

(Act No. 13 of 1885)

[As on the 1st June, 1995]

1995

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन-  
नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 द्वारा प्रकाशित।

मूल्य : (देश में) रु. 30 (विदेश में) £ 0.60 या \$ 0.94

## प्राक्कथन

भारतीय तार अधिनियम, 1885 का यह द्विभाषी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। इस अधिनियम का अंग्रेजी पाठ और उसका हिंदी प्राधिकृत पाठ 1 जून, 1995 तक संशोधित है।

नई दिल्ली

1 जून, 1995

के0एल0 मोहनपुरिया

सचिव, भारत सरकार

## संशोधन अधिनियमों और विधि अनुकूलन आदेशों की सूची

1. भारतीय तार (प्रेसिडेंसी नगर) अधिनियम, 1888 (1888 का 11)।
2. भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 1914 (1914 का 7)।
3. भारतीय डाकघर और तार (संशोधन) अधिनियम, 1914 (1914 का 14)।
4. भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 1930 (1930 का 27)।
5. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937।
6. निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1)।
7. भारतीय स्वतंत्रता (केंद्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 1948।
8. भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 1948 (1948 का 45)।
9. विधि अनुकूलन आदेश, 1950।
10. भाग ख राज्य (विधि) अधिनियम, 1951 (1951 का 3)।
11. भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 1957 (1957 का 47)।
12. तार विधि (संशोधन) अधिनियम, 1961 (1961 का 15)।
13. भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 33)।
14. भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 38)।
15. भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 48)।

## संक्षेपाक्षरों की सूची

पृ	.....	पृष्ठ 1
सं	.....	संख्यांक (नंबर) 1

# भारतीय तार अधिनियम, 1885

## धाराओं का क्रम

### भाग-1

#### प्रारंभिक

धाराएं	पृष्ठ
1. संक्षिप्त नाम, स्थानीय विस्तार और प्रारंभ।	1
2 [ निरसित ]	1
3. परिभाषाएं।	1

### भाग-2

#### सरकार के विशेषाधिकार और शक्तियां

4. तारयंत्रों के संबंध में अनन्य विशेषाधिकार और अनुज्ञाप्तियों के अनुदान की शक्ति।	2
5. अनुज्ञाप्त तारयंत्रों का कब्जा लेने की और संदेशों को अन्तररुद्ध करने का आदेश देने की सरकार की शक्ति	3
6. रेल कंपनी की भूमि पर तारयंत्र स्थापित करने की शक्ति	3
6.क भारत से बाहर देशों में संदेश पारेषित करने के रेट अधिसूचित करने की शक्ति	3
7. तारयंत्रों के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति	3
7क. वर्तमान करारों की व्यावृत्ति	5
7ख. विवादों का माध्यस्थम	6
8. अनुज्ञाप्तियों का प्रतिसंहरण	6
9. हानि या नुकसान के लिए सरकार का उत्तरदायी न होना	6

### भाग-3

#### तारयंत्र लाइनें और खंबे लगाने की शक्ति

10. तारयंत्र लाइनें और खंबे लगाने और उन्हें अनुरक्षित रखने की तारयंत्र प्रधिकारी की शक्ति	6
11. तारयंत्र लाइनों या खंबों की मरम्मत करने या उन्हें हटाने के लिए संपत्ति में प्रवेश करने की शक्ति	7

#### स्थानीय प्राधिकारियों में निहित या उनके नियंत्रण या प्रबंध के अधीन संपत्ति को लागू उपबंध

12. धारा 10 के खंड (ग) के अधीन अनुज्ञा, शर्तों के अध्यधीन देने की स्थानीय प्राधिकारी की शक्ति	7
13. तारयंत्र लाइन या खंबे हटाने या बदलने की अपेक्षा करने की स्थानीय प्राधिकारी की शक्ति	7
14. गैस या जल के पाइपों या नालियों की स्थिति बदलने की शक्ति	7
15. तारयंत्र प्राधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी के बीच विवाद	7

**अन्य संपत्ति को लागू उपबंध**

16. स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति से भिन्न संपत्ति की अवस्था में धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उक्त अवस्था में प्रतिकर की बाबत विवाद	8
17. स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति से भिन्न संपत्ति पर की तारयंत्र लाइन या खड़ा करना या बदलना	8
<b>समस्त संपत्ति को लागू उपबंध</b>	
18. तारयांत्रिक संचार में विघ्न डालने वाले पेड़ों को हटाना	9
19. इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व लगाई गई तारयंत्र लाइन और खंबे	9
19क. ऐसे व्यक्ति द्वारा सूचना का दिया जाना जिसके द्वारा वैध अधिकार के प्रयोग से तारयंत्र को नुकसान होने से या तारयांत्रिक संचार में विघ्न पड़ने की संभाव्यता हो	9
19ख. इस भाग के अधीन तारयंत्र प्राधिकारी की शक्तियों को अनुज्ञप्तिधारी को प्रदत्त करने की शक्ति	9
<b>भाग-4 शास्त्रियां</b>	
20. अनाधिकृत तारयंत्र की स्थापना, अनुरक्षण या पालन	10
20क. अनुज्ञप्ति की शर्त का भंग	10
21. अनाधिकृत तारयंत्रों का उपयोग करना	10
22. रेल भूमि पर तारयंत्रों की स्थापना का विरोध	10
23. संकेत कक्ष में बलात प्रवेश, तारयंत्र कार्यालय में अतिचार या बाधा डालना	10
24. संदशों की अंतर्वर्तुओं को जलाने का विधिवत या प्रयत्न करना	11
25. तारयंत्रों की सालक नुकसान या बिगाड़ना	11
25क. तारयंत्र लाइन या खंबे को क्षति पहुंचाना या उसमें हस्तक्षेप करना	11
26. तारयंत्र अधिकारी या अन्य अधिकारी का संदशों को नष्ट करना या बदलना या विधिवत्ता अंतरण या प्रकट करना या संकेतों का अभिप्राय प्रकट करना	11
27. तारयंत्र अधिकारी का संदाय के बिना कपटपूर्वक संदशों को भेजना	12
28. अवचार	12
29. (निरसित)	12
29क. शास्ति	12
30. जून से परिदृत संदेश की प्रतिवृत्त रखना	12
31. रिश्वत	12
32. अपराध करने के प्रयत्न	12
<b>भाग-5 अनुपूरक उपबंध</b>	
33. उन स्थानों में जहां तारयंत्रों के संबंध में प्रविष्टि बार-बार की जाती है अतिरिक्त पुलिस के नियोजन को शक्ति	18
34. अधिनियम का प्रेसीडेंसी नगरों को लागू होना	15
35. (निरसित)	15

भारत में तारयंत्र से संबंधित विधि के  
संशोधन के लिए  
अधिनियम

यतः भारत में तारयंत्र से संबंधित विधि का संशोधन करना समीचीन है;  
अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :-

भाग-1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, स्थानीय विस्तार और प्रारंभ : (1) यह अधिनियम भारतीय तार अधिनियम, 1885 कहा जा सकेगा।

<sup>2</sup>[(2) इसका विस्तार <sup>3\*\*\*</sup> संपूर्ण भारत पर है।]

(3) यह 1885 के अक्तूबर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

2. [निरसन और व्यावृत्ति ] निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित।

3. परिभाषाएं : इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो -

<sup>4</sup>[(1) "तारयंत्र" से किसी प्राकर के चिह्नों संकेतों, लेखन प्रतिबिंबों और ध्वनियों अथवा आसूचना का तारयंत्र, चाक्षुष या अन्य विद्युत-चुंबकीय उत्सर्जनों, रेडियो तरंगों अथवा हर्टसी तरंगों, गैल्वनीय, विद्युत या चुंबकीय साधनों से पारेषण या प्राप्ति के लिए प्रयुक्त या प्रयोक्तव्य कोई साधित्र, उपकरण, सामग्री या यंत्र अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण : "रेडियो तरंगों" या "हर्टसी तरंगों" से कृत्रिम निदेश के बिना अंतरिक्ष में संचालित 3000 जीगा साइकिल प्रति सैकिंड से कम आवृत्तियों की विद्युत चुंबकीय तरंगों अभिप्रेत हैं;]

(2) "तारयंत्र अधिकारी" से <sup>5</sup>[केंद्रीय सरकार] द्वारा या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्त व्यक्ति द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या चालित तारयंत्र के संबंध में या तो स्थायी या अस्थायी रूप से नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

1. यह अधिनियम -

अधिसूचना सं0 2735, तारीख, 01.09.1962, भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, अनुभाग 3(ii), पृ0 1991 द्वारा गोवा, दमण और दीव पर।

1963 के विनियम सं0 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा दादरा और नागर हवेली पर ;

1965 के विनियम सं0 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लक्कादीव, मिनीकोय और अमीनदीवी द्वीपसमूह ; पर विस्तारित किया गया।

यह अधिनियम 1899 के विनियम सं0 3 द्वारा संशोधित संथाल परगना सैटलमैंट रेगूलेशन 1872 (1872 का 3) की धारा 3 द्वारा संथाल परगना में, खोड़माल लॉज रेगूलेशन, 1936 (1936 का 4) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा खोड़माल जिले में; और आंगुल लॉज रेगूलेशन, 1936 (1936 का 5) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा आंगुल जिले में प्रवृत्त घोषित किया गया। बारां लॉज ऐक्ट, 1941 (1941 का 4) द्वारा बारां में भागतः विस्तारण किया गया।

2. 1948 के अधिनियम सं0 45 की धारा 2 द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा लोप किए गए "हैदराबाद राज्य को छोड़कर" शब्द 1951 के अधिनियम सं0 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा अंतः स्थापित।

4. 1961 के अधिनियम सं0 15 की धारा 2 द्वारा खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

5. विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

## (भाग-1-प्रारंभिक | भाग-2 सरकार के विशेषाधिकार और शक्तियाँ)

(3) "संदेश" से कोई संसूचना अभिप्रेत है जो तारंयन द्वारा भेजी जाए या तारंयन द्वारा भेजी जाने के लिए या परिदृष्ट की जाने के लिए किसी तारंयन अधिकारी को दी जाए।

(4) "तारंयन लाइन" से तार या तारों को परिवेष्टित करने वाले किसी वेष्टन, विलेपन, ट्यूब या पाइप सहित ऐसे या ऐसा तार, जिनका उपयोग तारंयन के प्रयोजन के लिए किया जाता है और ऐसे तार या तारों को लगाने या रोधित करने के प्रयोजन से उनसे संबंधित कोई साधित्र और यंत्र अभिप्रेत है;

(5) "खंबे" से तारंयन लाइन को वहन करने वाला, निलंबित रखने वाला या आलंब देने वाला खंबा, स्तंभ, दंड, टेक, थूनी या भूमि के ऊपर कोई अन्य युक्ति अभिप्रेत है;

(6) "तारंयन प्राधिकारी" से <sup>1</sup>[डाकतार] महानिदेशक अभिप्रेत है और इस अधिनियम के अधीन तारंयन प्राधिकारी के सब या किन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए उसके द्वारा सशक्त कोई अधिकारी इसके अंतर्गत है;

(7) "स्थानीय प्राधिकारी" से ऐसी कोई नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड, पत्तन आयुक्तों का निकाय या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जो किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध के लिए वैधरूपेण हकदार है अथवा <sup>2</sup>[केंद्रीय या किसी राज्य सरकार] द्वारा न्यस्त है।

\* \* \* \* \*

## भाग-2 सरकार के विशेषाधिकार और शक्तियाँ

**4. तारंयनों के संबंध में अनन्य विशेषाधिकार और अनुज्ञातियों के अनुदान की शक्ति -** <sup>4</sup>[1] भारत के भीतर तारंयनों की स्थापना, अनुरक्षण तथा पालन का अनन्य विशेषाधिकार केंद्रीय सरकार का होगा;

परंतु केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति को <sup>5</sup>[भारत] के किसी भाग के भीतर तारंयनों की स्थापना, अनुरक्षण या चालन की अनुज्ञाप्ति ऐसी शर्तों पर और ऐसे संदायों के प्रतिफलार्थ अनुदत्त कर सकेगी जैसे वह ठीक समझे;

<sup>6</sup>[परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए और शासकीय राजपत्र में प्रकाशित नियमों के द्वारा ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, जैसे वह ठीक समझती है, निम्नलिखित की स्थापना, अनुरक्षण या चालन की अनुज्ञा दे सकेगी -

(क) भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र के भीतर पोतों पर <sup>7</sup>[और <sup>5</sup>[भारत]] में के या उसके ऊपर के या भारतीय राज्यक्षेत्रीय समुद्र के ऊपर] के वायुयानों पर बेतार के तारंयन; और

(ख) <sup>5</sup>[भारत] के किसी भाग के भीतर बेतार के तारंयनों से भिन्न तारंयन।

(2) केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के अधीन अपनी सब शक्तियों या उनमें से किसी को तारंयन प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

1. 1914 के अधिनियम सं0 14 की धारा 2 द्वारा "तार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अंतःस्थापित खंड (8) का 1951 के अधिनियम सं0 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लोप किया गया।
4. 1914 के अधिनियम सं0 7 की धारा 4 द्वारा धारा 4 की उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित।
5. 1948 के अधिनियम सं0 45 की धारा 3 द्वारा "प्रांतों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. 1914 के अधिनियम सं0 7 की धारा 4 द्वारा परंतुक और उपधारा (2) अंतःस्थापित।
7. 1930 के अधिनियम सं0 27 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

**भारतीय तार अधिनियम, 1885**  
**(भाग-2 - सरकार के विशेषाधिकार और शक्तियाँ)**

ऐसे प्रत्यायोजित किसी शक्ति का तारयंत्र प्राधिकारी द्वारा प्रयोग ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन किया जाएगा जैसे केंद्रीय सरकार उस अधिसूचना द्वारा अधिरोपित करना ठीक समझे।

**१५. अनुज्ञाप्त तारयंत्रों का कब्जा लेने की और संदेशों को अन्तररुद्ध करने का आदेश देने की सरकार की शक्ति-** (१) किसी लोक आपात् के होने पर या लोक सुरक्षा के हित में, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी उस दशा में जब उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्त किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या चालित किसी तारयंत्र का अस्थायी कब्जा (तब तक के लिए, जब तक कि लोक आपात् विद्यमान रहे या लोकहित में ऐसी कार्रवाई किया जाना अपेक्षित हो) ले सकेगग

(२) किसी लोक आपात् के होने पर, या लोक सुरक्षा के हित में, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी उस दशा में जब उसका समाधान हो जाता है कि भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों या लोक व्यवस्था के हितों में अथवा किसी अपराध के किए जाने के उद्दीपन के निवारण के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को या उसके द्वारा या किसी विशिष्ट विषय से संबंधित कोई संदेश या संदेशों का कोई वर्ग, जो किसी तारयंत्र द्वारा पारेषणार्थ लाया गया है या पारेषित या प्राप्त हुआ है, पारेषित नहीं किया जाएगा या अन्तररुद्ध या निरुद्ध किया जाएगा या आदेश देने वाली सरकार या आदेश में वर्णित उसके किसी अधिकारी को प्रकट किया जाएगा।

परंतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को प्रत्यायित संवाददाताओं के वे प्रेस संदेश जो भारत में प्रकाशित किए जाने के लिए आशयित हैं तब तक अन्तररुद्ध या निरुद्ध नहीं किए जाएंगे जब तक उनका पारेषण इस उपधारा के अधीन प्रतिषिद्ध न किया गया हो]।

**६. रेल कंपनी की भूमि पर तारयंत्र स्थापित करने की शक्ति** - केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए अपेक्षित किए जाने पर कोई रेल कंपनी अपनी भूमि के किसी भाग पर तारयंत्र की स्थापना और अनुरक्षण के लिए सरकार को अनुज्ञा देगी और उसके चलाए जाने के लिए हर युक्तियुक्त सुविधा देगी।

**७६क. भारत से बाहर देशों में संदेश पारेषित करने के रेट अधिसूचित करने की शक्ति** - (१) केंद्रीय सरकार समय-समय पर आदेश द्वारा ऐसे रेट जिन पर और ऐसी अन्य शर्तें और निर्बन्धन अधिसूचित कर सकेगी जिनके अध्यधीन संदेश भारत से बाहर किसी देश में पारेषित किए जाएंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन रेट अधिसूचित करने में केंद्रीय सरकार निम्नलिखित विषयों में से सब या किसी का सम्यक् ध्यान रखेगी:-

- क) भारत से बाहर के देशों में संदेशों के पारेषण के तत्समय प्रवृत्त रेट;
- (ख) विदेशी मुद्रा के तत्समय प्रवृत्त रेट;
- (ग) संदेशों के भारत के भीतर पारेषण के तत्समय प्रवृत्त रेट;
- (घ) ऐसे अन्य सुसंगत विषय जो केंद्रीय सरकार मामलों की परिस्थितियों में समुचित समझे।]

**७. तारयंत्रों के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति :** (१) सरकार या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्त व्यक्तियों द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या चालित सब या किन्हीं तारयंत्रों के संचालन के लिए नियम, जो इस अधिनियम से संगत हों, केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

1. 1972 के अधिनियम सं0 38 की धारा 2 द्वारा धारा 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1971 के अधिनियम सं0 33 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित।

**भारतीय तार अधिनियम, 1885**  
**(भाग-2 सरकार के विशेषाधिकार और शक्तियां)**

(2) इस धारा के अधीन नियम अन्य विषयों के साथ ही निम्नलिखित विषयों में से सब या किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् -

(क) वे रेट जिन पर और वे अन्य शर्तें और निर्बन्धन जिनके अध्यधीन संदेश<sup>1</sup> [भारत के भीतर] पारेषित किए जाएंगे,

(ख) संदेशों को अनुचित रूप से अन्तररुद्ध या प्रकट करने के निवारण के लिए बरती जाने वाली पूर्ववधानियां;

(ग) वह कालावधि जिसके लिए और वे शर्तें, जिनके अध्यधीन तारयंत्र अधिकारियों के या उनकी अभिरक्षा में के तारयंत्र और अन्य दस्तावेजें परिस्कृत रखी जाएंगी; और

(घ) वे फीसें जो किसी तारयंत्र अधिकारी की अभिरक्षा में के तारयंत्रों या अन्य दस्तावेजों की तलाशी के लिए प्रभारित की जाएंगी;

<sup>2</sup>[(ङ) वे शर्तें और निर्बन्धन जिनके अध्यधीन, तारयांत्रिक संचार के लिए कोई तारयंत्र लाइन, साधित्र या यंत्र स्थापित, अनुरक्षित, चालित किए जाएंगे, उनकी मरम्मत, उनका अंतरण, स्थानांतरण किया जाएगा, वे वापस लिए जाएंगे या बंद किए जाएंगे;

<sup>3</sup>[(ङ) किसी तारयंत्र लाइन, साधित्र या यंत्र की व्यवस्था करने के लिए किसी आवेदन के संबंध में प्रभार;

(च) निम्नलिखित के संबंध में प्रभार -

(i) किसी तारयांत्रिक लाइन, साधित्र या यंत्र की स्थापना, अनुरक्षण, चालन, मरम्मत, अंतरण या स्थानांतरण,

(ii) ऐसी लाइन, साधित्र या यंत्र को क्रियान्वित करने वाले आपरेटरों की सेवाएं;

(छ) ऐसी प्रणाली से जिसके अधीन तारयांत्रिक संचार के लिए किसी तारयांत्रिक लाइन, साधित्र या यंत्र की स्थापना, अनुरक्षण, चालन, मरम्मत, अंतरण या स्थानांतरण से संबद्ध अधिकार और बाध्यताएं किसी करार के बल पर संलग्न होती हैं, ऐसी प्रणाली में जिसके अधीन ऐसे अधिकार और बाध्यताएं इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों के बल पर संलग्न होती हैं, संक्रमण से संबंधित विषय;

(ज) वह समय जिस पर, वह रीति जिसमें, वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए और वे व्यक्ति जिनके द्वारा इस उपधारा में वर्णित रेट, प्रभार और फीसें चुकाई जाएंगी और ऐसे रेटों, प्रभारों और फीसों के संदाय के लिए प्रतिभूति देना;

(झ) किसी व्यक्ति के फायदे के लिए किसी तारयांत्रिक लाइन, साधित्र या यंत्र की व्यवस्था के संबंध में उपगत किसी हानि के लिए केंद्रीय सरकार को प्रतिकर का संदाय -

(क) जहां कि उस लाइन, साधित्र या यंत्र अपने उपयोग के लिए संयोजित किए जाने के पश्चात, इन नियमों के द्वारा नियत कालावधि के अवसान के पूर्व उस व्यक्ति के द्वारा छोड़ दिया जाता है, या

(ख) जहां कि उस लाइन, साधित्र या यंत्र की व्यवस्था किए जाने के प्रयोजन के लिए किया गया काम, अपने उपयोग के लिए संयोजित किए जाने से पूर्व, उस व्यक्ति के किसी कार्य या कार्यलोप द्वारा बेकार हो गया है;

(ज) वे सिद्धांत जिनके अनुसार और वह प्राधिकारी जिसके द्वारा, खंड (झ) में निर्देशित प्रतिकर निर्धारित किया जाएगा;

1. 1971 के अधिनियम सं0 33 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

2. 1957 के अधिनियम सं0 47 की धारा 2 द्वारा 1-7-1959 से खंड (ङ) से खंड (ट) तक अंतःस्थापित।

3. 1974 के अधिनियम सं0 48 की धारा 2 द्वारा (1-6-1975 से) अंतःस्थापित।

**भारतीय तार अधिनियम, 1885**  
**(भाग-2 सरकार के विशेषाधिकार और शक्तियां)**

<sup>1</sup>[(ज) किसी तारयंत्र की स्थापना, अनुरक्षण या चालन के लिए नियोजित व्यक्तियों के पास होने वाली अर्हताएं और उनके द्वारा पास की जाने वाली परीक्षाएं, यदि कोई हों, और ऐसी परीक्षाओं के प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें; ]

(ट) अन्य कोई विषय जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन सब या किन्हीं तारयंत्रों के उचित और कुशल संचालन के लिए व्यवस्था आवश्यक है।

(3) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्त किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित, अनुरक्षित, या चालित किसी तारयंत्र के संचालन के लिए नियम बनाते समय केंद्रीय सरकार उनके किसी भंग के लिए नियमों द्वारा जुर्माने विहित कर सकेगी :

परंतु ऐसे विहित जुर्माने निम्नलिखित सीमाओं से अधिक नहीं होंगे, अर्थात् -

- (i) जब इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्ति व्यक्ति भंग के लिए दंडनीय है, तब एक हजार रुपए और निरंतर भंग की अवस्था में प्रथम दिन के बाद वाले ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि पूरे दिन या उसके किसी भाग में भंग जारी रहता है, दो सौ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना,
- (ii) जब ऐसे अनुज्ञात व्यक्ति का सेवक या अन्य कोई व्यक्ति भंग के लिए दंडनीय है, तब खंड (i) में विनिर्दिष्ट रकमों का चतुर्थांश।

<sup>2</sup>[(4) इस धारा में और एतद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों की किसी बात का यह अर्थ न लागाया जाएगा कि वह -

- (क) केंद्रीय सरकार को किसी व्यक्ति के साथ ऐसे करार करने से जो तारयांत्रिक संचार के साधन उपलभ्य करने के प्रयोजनार्थ किसी तारयंत्र लाइन, साधित्र या यंत्र की उस करार में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों और शर्तों पर उस सरकार द्वारा स्थापना, अनुरक्षण और चालन के लिए हो, उस दशा में प्रवारित करती है जिसमें कि तारयांत्रिक संचार के लिए उस व्यक्ति द्वारा अपेक्षित लाइनों, साधित्रों या यंत्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उसके साथ ऐसा करार करना आवश्यक या समीचीन है; या
- (ख) केंद्रीय सरकार को इस बाध्यता के अध्यधीन करती है कि वह तारयांत्रिक संचार साधन उपलभ्य करने के प्रयोजन के लिए किसी तारयंत्र लाइन, साधित्र या यंत्र की व्यवस्था करें।

<sup>3</sup>[(5) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव हाने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

<sup>4</sup>[(क. वर्तमान करारों की व्यावृति - धारा 7 की कोई बात तारयांत्रिक संचार के लिए किसी तारयंत्र लाइन, साधित्र या यंत्र की स्थापना, अनुरक्षण या चालन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के साथ भारतीय तार (संशोधन) अधिनियम, 1957 (1957 का 47) के प्रारंभ से पूर्व किए गए किसी करार की पर्यवासित करने वाले किन्हीं नियमों का बनाना प्राधिकृत नहीं करेंगी और ऐसी स्थापना, अनुरक्षण या चालन से संबंधित तद्धीन सब अधिकार और बाध्यताएं ऐसे करार के निबधनों और शर्तों के अनुसार अवधारित की जाएंगी।

- 
1. 1961 के अधिनियम सं0 15 की धारा 3 द्वारा अंतः स्थापित।
  2. 1957 के अधिनियम सं0 47 की धारा 2 द्वारा 1-7-1959 से अंतः स्थापित।
  3. 1974 के अधिनियम सं0 48 की धारा 2 द्वारा उपधारा (5) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
  4. 1957 के अधिनियम सं0 47 की धारा 3 द्वारा अंतः स्थापित।

**भारतीय तार अधिनियम, 1885**

(भाग 2—सरकार के विशेषाधिकार और शक्तियां । भाग 3— तारयंत्र लाइनें और खम्बे लगाने की शक्ति)

**७. विवादों का माध्यस्थम् —** (१) इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्टतः उपबंधित के सिवाय यदि किसी तारयंत्र लाइन, साधित्र या यंत्र के संबंध में कोई विवाद तारयंत्र प्राधिकारी और उस व्यक्ति के बीच जिसके फायदे के लिए उस लाइन, साधित्र या यंत्र की व्यवस्था की जाती है या की गई है, पैदा होता है तो विवाद का अवधारण माध्यस्थम् द्वारा किया जाएगा और ऐसे अवधारण के प्रयोजन के लिए वह ऐसे मध्यस्थ को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसे केन्द्रीय सरकार ने उस विवाद के अवधारण के लिए विशेषतः या इस धारा के अधीन विवादों के अवधारण के लिए साधारणतः नियुक्त किया है।

(२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त मध्यस्थ का अधिनिर्णय विवाद के पक्षकारों के बीच निश्चायक होगा और वह किसी न्यायालय में प्रश्नास्पद नहीं किया जाएगा।

**८. अनुज्ञाप्तियों का प्रतिसंहरण** - केन्द्रीय सरकार धारा ४ के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञाप्ति का प्रतिसंहरण उसमें अन्तर्विष्ट शर्तों में से किसी के भंग पर या तदधीन संदेय किसी प्रतिफल के संदाय में चूक होने पर किसी समय कर सकेगी।

**९. हानि या नुकसान के लिए सरकार का उत्तरदायी न होना** - सरकार ऐसी किसी हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, जो किसी तारयंत्र अधिकारी के किसी संदेश की प्राप्ति, पारेषण या परिदान के संबंध में अपने कर्तव्यों में असफल रहने के परिणामस्वरूप हुई हो ; और ऐसा कोई अधिकारी किसी ऐसी हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि वह उससे उपेक्षापूर्वक, विद्वेषपूर्वक, या कपटपूर्वक नहीं करता ।

**भाग ३**  
**तारयंत्र लाइनें और खम्बे लगाने की शक्ति**

**१०. तारयंत्र लाइनें और खम्बे लगाने और उन्हें अनुरक्षित रखने की तारयंत्र प्राधिकारी की शक्ति—**तारयंत्र प्राधिकारी, समय-समय पर, किसी स्थावर संपत्ति के नीचे, ऊपर, सहारे या आर-पार तारयंत्र लाइन और ऐसी संपत्ति में या पर खंबे लगा सकेगा और अनुरक्षित रख सकेगा :

परन्तु—

(क) तारयंत्र प्राधिकारी इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग <sup>१</sup>(केन्द्रीय सरकार) द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या इस भांति स्थापित किए या अनुरक्षित रखे जाने वाले तारयंत्र के प्रयोजनों के लिए करने के सिवाय नहीं करेगा।

(ख) <sup>१</sup>(केन्द्रीय सरकार) उस सम्पत्ति में जिसके नीचे, ऊपर, सहारे, आर-पार में या पर तारयंत्र प्राधिकारी कोई तारयंत्र लाइन या खम्बे लगाता है, केवल उपयोग के अधिकार से भिन्न कोई अधिकार अर्जित नहीं करेगी, और

(ग) इसके पश्चात इसमें उपबंधित के सिवाय तारयंत्र प्राधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग ऐसी किसी सम्पत्ति की बाबत, जो किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित है या उसके नियंत्रण में या प्रबन्धाधीन है, उक्त प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा, और

(घ) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में तारयंत्र प्राधिकारी यथासंभव अल्पतम नुकसान करेगा, और जब उसने उन शक्तियों का प्रयोग खंड (ग) में निर्दिष्ट सम्पत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति के संबंध में किया हो तब वह हितबद्ध व्यक्तियों को उन शक्तियों के प्रयोग के कारण उनको हुए किसी नुकसान के लिए पूर्ण प्रतिकर देगा।

**११. तारयंत्र लाइनों या खम्बों की मरम्मत करने या उन्हें हटाने के लिए सम्पत्ति में प्रवेश करने की शक्ति—**तारयंत्र प्राधिकारी किसी तारयंत्र लाइन या खम्बे की परीक्षा करने, मरम्मत करने, बदलने या हटाने के प्रयोजन के लिए किसी समय उस सम्पत्ति में प्रवेश कर सकेगा जिसके नीचे, ऊपर, सहारे, आर-पार में या पर वह लाइन या खम्बा लगाया गया है।

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित

**भारतीय तार अधिनियम, 1885**  
**(भाग 3 - तार लाइनें और खम्बे लगाने की शक्ति )**

स्थानीय प्राधिकारियों में निहित या उनके नियंत्रण या प्रबंध के अधीन संपत्ति को लागू उपबंध

**12.** धारा 10 खंड (ग) के अधीन अनुज्ञा, शर्तों के अध्यधीन देने की स्थानीय प्राधिकारी की शक्ति - धारा 10 के खंड (ग) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दी गई कोई अनुज्ञा ऐसी युक्तियुक्त शर्तों के अध्यधीन दी जा सकेगी, जैसी वह प्राधिकारी उन व्ययों के संदाय की बाबत, जो उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के परिणामस्वरूप उस प्राधिकारी को निश्चय ही करने पड़ेंगे या किसी काम के निष्पादन के समय या ढंग की बाबत या उन शक्तियों के अधीन उस तारयंत्र प्राधिकारी द्वारा लिए गए किसी काम से संबंधित या सम्बद्ध किसी अन्य बात की बाबत, अधिरोपित करना ठीक समझे।

**13.** तारयंत्र लाइन या खम्बे हटाने या बदलने की अपेक्षा करने की स्थानीय प्राधिकारी की शक्ति - जब इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन कोई तारयंत्र लाइन या खम्बा तारयंत्र प्राधिकारी द्वारा ऐसी किसी सम्पत्ति के, जो स्थानीय प्राधिकारी में निहित है या उसके नियंत्रण या प्रबन्ध में है, नीचे, ऊपर, सहारे, आस-पार, में या पर लगाया गया है और स्थानीय प्राधिकारी उन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, जो तारयंत्र लाइन या खम्बे के इस भाँति लगाए जाने के समयोपरान्त पैदा हुई है यह समीचीन समझता है कि उसे हटाया जाना चाहिए या उसकी स्थिति बदली जानी चाहिए, तब स्थानीय प्राधिकारी, यथास्थिति, उसे हटाने या उसकी स्थिति बदलने की अपेक्षा तारयंत्र प्राधिकारी से कर सकेगा।

**14.** गैस या जल के पाइपों या नालियों की स्थिति बदलने की शक्ति - तारयंत्र प्राधिकारी, किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित या उसके नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन किसी सम्पत्ति के संबंध में इस अधिनियम द्वारा अपने को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए गैस या जल के प्रदाय के लिए किसी पाइप की (जो मुख्य न हो) या किसी नाली की (जो मुख्य नाली न हो) सम्पत्ति के नीचे स्थिति बदल सकेगा :

परन्तु -

(क) जब तारयंत्र प्राधिकारी किसी ऐसे पाइप या नाली की स्थिति बदलना चाहता है, तो वह ऐसा करने के अपने आशय की युक्तियुक्त सूचना, उस समय को विनिर्दिष्ट करते हुए जब कि वह ऐसा करना प्रारम्भ करेगा, स्थानीय प्राधिकारी को और जब पाइप या नाली स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति को जिसके नियंत्रण के अधीन पाइप या नाली है, देगा,

(ख) खंड (क) के अधीन सूचना पाने वाला स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति काम का अधीक्षण करने के लिए कोई व्यक्ति भेज सकेगा और प्राधिकारी काम का निष्पादन ऐसे भेजे गए व्यक्ति को युक्तियुक्त संतोषप्रद रूप में करेगा।

**15.** तारयंत्र प्राधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी के बीच विवाद - (1) यदि इस बात के परिणामस्वरूप कि स्थानीय प्राधिकारी ने धारा 10 के खंड (ग) में निर्दिष्ट अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया है या धारा 12 के अधीन कोई शर्त विहित है, या तारयंत्र प्राधिकारी द्वारा धारा 13 के अधीन की गई किसी अध्येक्षा का अनुवर्तन न करने के परिणामस्वरूप या अन्यथा कोई विवाद इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के संबंध में तारयंत्र प्राधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी के बीच पैदा हो, तो वह ऐसे अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाएगा, जिसे केन्द्रीय सरकार या तो साधारणतः या विशेषतः इस निमित्त नियुक्त करें।

(2) ऐसे नियुक्त किए गए अधिकारी के अवधारण से अपील<sup>1</sup> (केन्द्रीय सरकार) को की जाएगी, और केन्द्रीय सरकार का आदेश अंतिम होगा।

अन्य सम्पत्ति को लागू उपबंध

**16.** स्थानीय प्राधिकारी की सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति की अवस्था में धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उक्त अवस्था में प्रतिकर की बाबत विवाद - (1) यदि धारा 10 के खंड (घ) में निर्दिष्ट संपत्ति के संबंध में उक्त धारा में वर्णित शक्तियों के प्रयोग का प्रतिरोध किया जाता है या उसमें बाधा डाली जाती है तो जिला मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार आदेश दे सकेगा कि तारयंत्र प्राधिकारी को उनका प्रयोग करने दिया जाएगा।

---

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

**भारतीय तार अधिनियम, 1885**  
**(भाग 3 - तारयंत्र और खंबे लगाने की शक्ति)**

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन आदेश दिए जाने के पश्चात कोई व्यक्ति उन शक्तियों के प्रयोग का प्रतिरोध करता है, या सम्पत्ति पर नियंत्रण रखते हुए उनका प्रयोग किए जाने के लिए सब सुविधाएं नहीं देता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 के अधीन अपराध किया है।

(3) यदि उपधारा 10 के खंड (घ) के अधीन संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर की पर्याप्तता की बाबत कोई विवाद पैदा होता है, तो वह दोनों विवादी पक्षकारों में से किसी द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए आवेदन उस जिला न्यायाधीश से किए जाने पर, जिसकी अधिकारिता के भीतर सम्पत्ति स्थित है, उक्त न्यायाधीश द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(4) यदि उन व्यक्तियों के बारे में जो प्रतिकर पाने के हकदार हैं या उन अनुपातों के बारे में, जिनमें हितबद्ध व्यक्ति उसमें अंश पाने के हकदार हैं, कोई विवाद पैदा होता है, तो ऐसी रकम, जिसे तारयंत्र प्राधिकारी पर्याप्त समझता है या जहां समस्त विवादी पक्षकारों ने निविदित रकम का पर्याप्त होना लिखित रूप में स्वीकारोक्त कर लिया है या रकम उपधारा (3) के अधीन अवधारित की गई है वहां वह रकम तारयंत्र प्राधिकरी जिला न्यायाधीश के न्यायालय में जमा करेगा और जिला न्यायाधीश पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात और उनमें से ऐसों को सुनने के पश्चात, जो सुने जाने की वांछ करते हैं, यथास्थिति, उन व्यक्तियों को, जो प्रतिकर पाने के हकदार हैं, या उन अनुपातों को, जिनमें हितबद्ध व्यक्ति उसमें अंश पाने के हकदार हैं, अवधारित करेगा।

(5) विवाद का जिला न्यायाधीश द्वारा उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन किया गया प्रत्येक अवधारण अंतिम होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात तारयंत्र प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई पूरा प्रतिकर या उसका कोई भाग उस व्यक्ति से, जिसे वह मिला है, वाद द्वारा वसूल करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

**17. स्थानीय प्राधिकारी की सम्पत्ति से भिन्न सम्पत्ति पर की तारयंत्र लाइन या खम्बा हटाना या बदलना -** 1. जब इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन कोई तारयंत्र लाइन या खंबा तारयंत्र प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसी सम्पत्ति के नीचे, ऊपर, सहाएँ, आर-पार में या पर लगाया गया है जो किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित या उसके नियंत्रण या प्रबन्ध के अधीन नहीं है और उस सम्पत्ति को बरतने के लिए हकदार व्यक्ति उसको इस प्रकार बरतना चाहता है जिससे यह आवश्यक और सुविधाजनक होता है कि उस तारतंत्र लाइन या खम्बे को हटाकर उस सम्पत्ति के किसी अन्य भाग में या किसी उच्चतर या निम्नतर तल में ले जाया जाए या उसका रूप बदल दिया जाए तो वह तारयंत्र प्राधिकारी से उस लाइन या खम्बे को तदनुकूल हटाने या बदलने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु यदि धारा 10 के खण्ड (घ) के अधीन प्रतिकर दिया जा चुका है तो वह अध्यपेक्षा करते समय तारयंत्र प्राधिकारी को वह रकम, जो उस हटाए जाने या बदले जाने के व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित हो अथवा प्रतिकर के रूप में संदत्त रकम की आधी रकम, इनमें से जो भी न्यूनतर हो, वह निविदित करेगा।

(2) यदि तारयंत्र प्राधिकारी अध्यपेक्षा के अनुवर्तन में कार्यतोप करता है, तो अध्यपेक्षा करने वाला व्यक्ति उस जिला मजिस्ट्रेट से, जिसका अधिकारिता के भीतर सम्पत्ति स्थित है, ऐसे हटाने या बदलने का आदेश देने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर स्वविवेकानुसार या तो उसे अस्वीकृत कर सकेगा या तारयंत्र लाइन या खम्बे को, उस सम्पत्ति के किसी अन्य भाग में या उच्चतर या निम्नतर तल में हटाने के लिए या उसके रूप को बदलने के लिए आत्यन्तिक रूप से शर्तों सहित आदेश दे सकेगा और इस भांति दिया गया आदेश अंतिम होगा।

**भारतीय तार अधिनियम, 1885**  
**(भाग 3 - तार लाइनें और खम्बे लगाने की शक्ति )**

**18.** तारयांत्रिक संचार में विच्छ डालने वाले पेड़ों को हटाना - (1) यदि किसी तारयंत्र लाइन के निकट खड़ा या पड़ा हुआ पेड़ तारयांत्रिक संचार में विच्छ डालता है या उससे विच्छ पड़ने की सम्भावना है, तो प्रथम या द्वितीय वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट, तारयंत्र प्राधिकारी के आवेदन पर पेड़ को हटवा सकेगा या उसके संबंध में ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकेगा जैसी वह ठीक समझता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट उस अवस्था में, जिसमें कोई पेड़ उस तारयंत्र लाइन के लगाए जाने से पहले विद्यमान था, पेड़ में हितबद्ध व्यक्तियों के लिए ऐसा प्रतिकर अधिनिर्णीत करेगा जैसा वह युक्तियुक्त समझता है और वह अधिनिर्णय अंतिम होगा।

**19.** इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व लगाई गई तारयंत्र लाइन और खम्बे - <sup>1</sup>(केन्द्रीय सरकार) द्वारा स्थापित या अनुरक्षित तारयंत्र के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व किसी संपत्ति के नीचे, ऊपर, सहारे, आर-पार, में या पर लगाई गई प्रत्येक गई प्रत्येक तारयंत्र लाइन या खम्बे की बाबत यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, और इसकी समर्त्त अपेक्षाओं के अनुपालन के पश्चात, लगाया गया है।

<sup>2</sup>[19क. ऐसे व्यक्ति द्वारा सूचना का दिया जाना जिसके द्वारा वैध अधिकार के प्रयोग से तारयंत्र को नुकसान होने से या तारयांत्रिक संचार में विच्छ पड़ने की सम्भाव्यता हो ] - (1) कोई व्यक्ति जो किसी अधिकार का वैध रूप से प्रयोग करने में किसी सम्पत्ति से इस प्रकार बरतना चाहता है जिससे किसी ऐसी तारयंत्र लाइन या खम्बे को जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार सम्यक्तः लगाया गया हो नुकसान होने या तारयांत्रिक संचार में विच्छ या हस्तक्षेप होने की सम्भाव्यता हो, ऐसे अधिकार के प्रयोग करने के अपने आशय की एक मास से अन्यून की लिखित सूचना तारयंत्र प्राधिकारी को या किसी ऐसे तारयंत्र अधिकारी को देगा जिसे वह तारयंत्र प्राधिकारी इस निमित्त सशक्त करें।

(2) यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का अनुवर्तन किए बिना किसी सम्पत्ति से इस प्रकार बरतता है जिससे किसी तारयंत्र लाइन या खम्बे को नुकसान होने या तारयांत्रिक संचार में विच्छ या हस्तक्षेप होने की सम्भाव्यता हो तो प्रथम या द्वितीय वर्ग का कोई मजिस्ट्रेट, तारयंत्र प्राधिकारी के आवेदन पर ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकेगा कि वह उस सम्पत्ति से उसप्रकार बरतने से उसके आदेश की तारीख से एक मास से अनधिक की कालावधि तक प्रविरत रहे और उस सम्पत्ति के बारे में तुरन्त ऐसी कार्रवाई करे जैसी उस मजिस्ट्रेट की राय में ऐसी कालावधि के दौरान ऐसे नुकसान, विच्छ या हस्तक्षेप का उपचार या निवारण करने के लिए आवश्यक हो।

(3) कोई व्यक्ति जो अपने को या किसी अन्य मानव प्राणी को शारीरिक क्षति के आसन्न खतरे से बचाने के सद्भावपूर्ण आशय से किसी सम्पत्ति को उस प्रकार बरतता है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उक्त उपधारा के उपबंधों का अनुवर्तन कर दिया है यदि वह उस अधिकार के आशयित प्रयोग की ऐसी सूचना देता है जैसी परिस्थितियों में सम्भव है या जहां ऐसी कोई पूर्ववर्ती सूचना ऊपर निर्दिष्ट आसन्न खतरा मोल लिए बिना नहीं दी जा सकती वहां वह ऐसे अधिकार के वास्तविक प्रयोग की सूचना उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या अधिकारी को तुरन्त दे देता है।

**19ख.** इस भाग के अधीन तारयंत्र प्राधिकारी की शक्तियों की अनुज्ञाप्रिधारी को प्रदत्त करने की शक्ति - सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या ऐसे स्थापित किए या अनुरक्षित रखे जाने वाले तारयंत्र की बाबत जो शक्तियां तारयंत्र प्राधिकारी के पास इस भाग के अधीन हैं उन सब को या उनमें से किसी को केन्द्रीय सरकार धारा 4 के अधीन किसी अनुज्ञाप्रिधारी को उसकी अपनी अनुज्ञाप्रिधारी के विस्तार की बाबत और ऐसी शर्तों और निबंधनों के, जैसे केन्द्रीय सरकार अधिरोपित करना ठीक समझे और इस भाग के उपबंधों के अध्यधीन, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रदत्त कर सकेंगी :

परन्तु धारा 19क में विहित सूचना तारयंत्र प्राधिकारी या धारा 19क(1) के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए सशक्त अधिकारी को सदैव दी जाएगी। ]

1. विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित

2. 1914 के अधिनियम सं0 7 की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

**भारतीय तार अधिनियम, 1885**  
**(भाग 4-शास्तियां)**

**भाग 4**

**शास्तियां**

<sup>1</sup>[20. **अप्राधिकृत तारयंत्र की स्थापना, अनुरक्षण या चालन** - (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के उपबंधों  
<sup>2</sup>[भारत] के भीतर स्थापित, अनुरक्षित या चालित करेगा, तो वह उस दशा में जिसमें वह तारयंत्र बेतार का तारयंत्र है कारवास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से अथवा दोनों से और किसी अन्य दशा में जुर्माने से, जो एक एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।]

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बेतार के तारयंत्र के विषय में इस धारा के अधीन अपराध उक्त संहिता के प्रयोजनों के लिए जमानतीय और असंज्ञेय होंगे।

(3) जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया जाता है तब वह न्यायालय, जिसके सामने वह सिद्धदोष किया जाता है, यह निदेश दे सकेगा कि जिस तारयंत्र की बाबत अपराध किया गया है, वह या ऐसे तारयंत्र का कोई भाग, सरकार के पक्ष में समर्पित कर लिया जाए। ]

<sup>3</sup>[ 20क. **अनुज्ञाप्ति की शर्त का भंग**-यदि धारा 4 के अधीन अनुदत्त अनुज्ञाप्ति का धारक अपनी अनुज्ञाप्ति में अन्तर्विष्ट किसी शर्त का उल्लंघन करेगा तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, और प्रत्येक ऐसे सप्ताह ले लिए, जिसके दौरान शर्त का भंग जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। ]

21. **अप्राधिकृत तारयंत्रों का उपयोग करना** - यदि कोई व्यक्ति जो यह जानता है या जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी तारयंत्र की स्थापना या उसका अनुरक्षण या चालन इस अधिनियम के उल्लंघन में किया गया है, ऐसे तारयंत्र से कोई संदेश पारेषित करेगा या प्राप्त करेगा या उससे आनुषंगिक कोई सेवा करेगा या ऐसे तारयंत्र से पारेषण के लिए कोई संदेश देगा या उस द्वारा भेजे गए किसी संदेश का परिदान प्रतिगृहीत करेगा, वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

22. **रेल भूमि पर तारयंत्रों की स्थापना का विरोध** - यदि कोई रेल कंपनी या किसी रेल कंपनी का कोई अधिकारी धारा 6 के उपबंधों की उपेक्षा करेगा या अनुर्वर्तन से इंकार करेगा तो वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान उपेक्षा या इन्कार जारी रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा।

23. **संकेत कक्ष में बलात् प्रवेश, तारयंत्र कार्यालय में अतिचार या बाधा डालना** - यदि कोई व्यक्ति -

(क) सरकार के या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्त किसी व्यक्ति के तारयंत्र कार्यालय के संकेत कक्ष में सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा, या

(ख) ऐसे तारयंत्र कार्यालय के चारों ओर वाले बाड़युक्त अहाते में प्रवेश किसी नियम के या ऐसा न करने की सूचना के उल्लंघन में करेगा, या

1. 1914 के अधिनियम सं0 7 की धारा 6 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1948 के अधिनियम सं0 45 की धारा 3 द्वारा "प्रान्तों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3. 1914 के अधिनियम सं0 7 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित।

**भारतीय तार अधिनियम, 1885**  
**(भाग-4—शास्तियां)**

(ग) उस कक्ष या घेरे में से निकल जाने से इंकार करेगा जब कि उसमें नियोजित किसी अधिकारी या सेवक द्वारा ऐसा करने के लिए प्रार्थना की जाए, या

(घ) किसी ऐसे अधिकारी या सेवक के स्वकर्तव्य पालन में जानबूझ कर बाधा या अड़चन डालेगा, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

**24.** संदेशों की अंतर्वस्तुओं को जानने का विधि विरुद्धतया प्रयत्न करना — यदि कोई व्यक्ति धारा 23 में वर्णित कार्यों में से कोई कार्य किसी संदेश की अंतर्वस्तु को विधि विरुद्धतया जानने के या इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने के आशय से करेगा तो वह (उस जुर्माने के अतिरिक्त जिससे कि वह धारा 23 के अधीन दंडनीय है) कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।

**25.** तारयंत्रों को साशय नुकसान पहुंचाना या बिगाड़ना - यदि कोई व्यक्ति—

- (क) किसी संदेश का पारेषण या परिदान निवारित या बाधित करने के, या
- (ख) किसी संदेश की अन्तर्वस्तु अन्तरुद्ध करने या स्वयम् जान लेने के, या
- (ग) रिष्टि करने के,

आशय से ऐसे किसी बैटरी, मशीनरी, तारयंत्र लाईन, खम्बे या अन्य चीज को, चाहे वह कुछ भी क्यों न हों, जो किसी तारयंत्र या उसके चालन का भाग है या उसमें या उसके बारे में प्रयुक्त होती है, नुकसान पहुंचाएगा, हटाएगा, बिगाड़ेगा, या छुएगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा।

**1[25 क. तारयंत्र लाइन या खम्बे को क्षति पहुंचाना या उसमें हस्तक्षेप करना** - यदि किसी ऐसी दशा में जिसके लिए धारा 25 द्वारा उपबंध नहीं किया गया है कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति से बरतेगा और तदद्वारा उस तारयंत्र लाइन या खम्बे को जानबूझ कर या उपेक्षापूर्वक नुकसान पहुंचाएगा जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी सम्पत्ति पर सम्यक रूपेण लगाए गए हैं तो वह तारयंत्र प्राधिकारी को ऐसे व्यय (यदि कोई हो) देने के दायित्वाधीन होगा, जैसे जैसे नुकसानों की पूर्ति में उपगत किए गए हों और यदि तारयांत्रिक संचार में, ऐसे हुए नुकसान के कारण, विघ्न पड़ गया हो तो वह जुर्माने से भी, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परन्तु जहां ऐसा नुकसान या विघ्न ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित हुआ है जो किसी सम्पत्ति से अपने अधिकार के वैध प्रयोग में बरतता है वहां यदि उसने धारा 19क (1) के उपबंधों का अनुवर्तन कर दिया है तो धारा के उपबंध लागू नहीं होंगे।

**26. तारयंत्र अधिकारी या अन्य अधिकारी का संदेशों को नष्ट करना या बदलना या विधिविरुद्ध तथा अंतररुद्ध या प्रकट करना या संकेतों का अभिप्राय प्रकट करना :-** यदि कोई तारयंत्र अधिकारी या ऐसा कोई व्यक्ति, जो तारयंत्र अधिकारी नहीं है किन्तु जिसके पदीय कर्तव्य तारयंत्र कार्यालय के रूप में प्रयुक्त किसी कार्यालय से संबंधित है-

(क) ऐसे किसी संदेश को, जिसे उसने पारेषण या परिदान के लिए प्राप्त किया है, जानबूझकर छिपाएगा, नष्ट करेगा या बदलेगा, या

(ख) किसी संदेश या उसके किसी भाग का पारेषण करने में लोप या उसे अन्तररुद्ध या उसका निरोध जानबूझ कर और केन्द्रीय सरकार के या राज्य सरकार के आदेश या ऐसा आदेश देने के लिए <sup>2</sup>[केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा विशिष्टतया प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के पालन से अन्यथा करेगा

1. 1914 के अधिनियम सं0 7 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित ।

2. विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर-जनरल द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

**भारतीय तार अधिनियम, 1885**

(भाग 4—शास्त्रियां)

अथवा किसी संदेश की अन्तर्वस्तुएं या अन्तर्वस्तुओं का कोई भाग अपने पदीय कर्तव्य के अनुसरण से या सक्षम न्यायालय के निदेश के पालन से अन्यथा ऐसे किसी व्यक्ति को प्रकट करेगा जो उसे प्राप्त करने का हकदार नहीं है, या

(ग) किसी तारयांत्रिक संकेत का अभिप्राय ऐसे किसी व्यक्ति को प्रकट करेगा जो उसे जान लेने का हकदार नहीं है,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा।

**27. तारयंत्र अधिकारी का संदेश के बिना कपटपूर्वक संदेशों को भेजना :-** यदि कोई तारयंत्र अधिकारी तारयंत्र द्वारा कोई ऐसा संदेश पारेषित करेगा जिस पर यथास्थिति<sup>1</sup> [केन्द्रीय सरकार] द्वारा या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्त व्यक्ति द्वारा व्यक्ति प्रभार नहीं दिया गया है और यह बात<sup>2</sup> [केन्द्रीय सरकार] या उस व्यक्ति से कपट करने के आशय से की गई है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से अथवा दोनों से, दंडित किया जाएगा।

**28. अवचार -** यदि तारयंत्र अधिकारी या ऐसा कोई व्यक्ति जो तारयंत्र अधिकारी नहीं है किन्तु जिसके पदीय कर्तव्य तारयंत्र कार्यालय के रूप में प्रयुक्त किसी कार्यालय से संबंधित हैं, मत्तता, असावधानी या अन्य अवचार के किसी कार्य का दोषी होगा, जिससे किसी संदेश के सही पारेषण या परिदान में अड़चन पड़ती है या विलम्ब होता है, या यदि कोई तारयंत्र अधिकारी किसी संदेश के पारेषण या परिदान में कालक्षेप या विलम्ब करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, जो दंडित किया जाएगा।

**29|झूठा संदेश भेजना|** भारतीय तार संशोधन अधिनियम 1971 (1971 का 33) की धारा 4 द्वारा निरसित ।

**2| 29क. शास्ति -** यदि कोई व्यक्ति सम्यक् प्राधिकार के बिना -

(क) ऐसे प्रकार की किसी दस्तावेज को बनाएगा या जारी करेगा जो यह विश्वास कराने के लिए युक्तियुक्त रूपेण प्रकल्पित है कि वह दस्तावेज डाकतार महानिदेशक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जारी की गई है ; या

(ख) किसी दस्तावेज पर कोई ऐसा चिन्ह बनाएगा जो डाकतार महानिदेशक के अधीन किसी तारयंत्र कार्यालय के किसी स्टाम्प या चिन्ह की अनुकृति या उसके सामान अथवा वही होना तात्पर्यित हो या इस प्रकार का चिन्ह बनाएगा जो यह विश्वास कराने के लिए युक्तियुक्त रूपेण प्रकल्पित है कि इस प्रकार चिन्हित दस्तावेज<sup>3</sup> [डाक तार] महानिदेशक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन जारी की गई है,

तो वह जुर्माने से जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा। ]

**30. भूल से परिदृत संदेश को प्रतिघृत रखना -** यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी संदेश को कपटपूर्वक प्रतिघृत रखेगा या जानबुझकर छिपाएगा, नष्ट करेगा या निरुद्ध करेगा जो किसी अन्य व्यक्ति को परिदृत किया जाना चाहिए अथवा किसी तारयंत्र अधिकारी द्वारा ऐसे किसी संदेश को परिदान करने के लिए अपेक्षित किए जाने पर भी ऐसा करने में उपेक्षा करेगा या इंकार करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।

**31. रिश्वत —** तारयंत्र अधिकारी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 161, 162, 163, 164 और 165 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा, और उक्त धारा 161 में अन्तर्विष्ट "वैधपारिश्रमिक"

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. 1914 के अधिनियम सं0 7 की धारा 9 द्वारा अंतः स्थापित ।

3. 1914 के अधिनियम सं0 14 की धारा 2 द्वारा "तार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

भारतीय तार अधिनियम, 1885  
(भाग 4—शास्त्रियां भाग 5 — अनुपूरक उपबंध )

की परिभाषा में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "सरकार" शब्द की बाबत यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्त व्यक्ति भी है।

**32.** अपराध करने के प्रयत्न - जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा।

भाग ५  
अनुपरक उपबन्ध

**33.** उन स्थानों में जहां तारयंत्रों के संबंध में रिप्टि बास-बार की जाती है, अतिरिक्त पुलिस के नियोजन की शक्ति-  
**(1)** जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी तारयंत्र को सदोष नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने की संभावना वाला कोई कार्य किसी स्थान में बास-बार और विद्वेष पूर्ण रूप में किया जाता है और अतएव उस स्थान में अतिरिक्त पुलिस बल के नियोजन की आवश्यकता हो गई है, तब राज्य सरकार उस स्थान में ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल को भेज सकेगी जैसा वह ठीक समझती है, और उसे वहां तब तक के लिए नियोजित रख सकेगी जब तक के लिए सरकार की राय में ऐसा करने की आवश्यकता बनी रहती है।

(2) उस स्थान के निवासियों पर अतिरिक्त पुलिस बल के खर्च का प्रभार डाला जाएगा और जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार के आदेशों के अध्याधीन, उस अनुपात को निर्धारित करेगा जिसमें निवासियों का खर्च उनके अपने साधनों के बारे में उसके निर्णय के अनुसार दिया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन देय समस्त धन या तो मजिस्ट्रेट के अधिपत्र के अधीन उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यतिक्रमी की जंगम संपत्ति के कररथम् और विक्रय द्वारा या किसी सक्षम न्यायालय में वाद द्वारा वसूलीय होगा।

(4) राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान की सीमाओं को परिनिश्चित कर सकेगी।

**1| 34 . अधिनियम का प्रेसिडेंसी नगरों को लागू होना** - (1) यह अधिनियम प्रेसिडेंसी नगरों को अपने लागू किए जाने में इस भांति पढ़ा जाएगा मानो धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (2) और (3) में "जिला मजिस्ट्रेज" शब्दों के लिए और धारा 18 की उपधारा (1)<sup>2</sup> [ और धारा 19क की उपधारा (2) में "प्रथम या द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट" शब्दों के लिए और धारा 18 की उपधारा (2) में "मजिस्ट्रेट" शब्द के लिए "पुलिस आयुक्त" शब्द और धारा 16 की उपधारा (3), (4) और (5) में "जिला न्यायाधीश" शब्दों के लिए "लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश" शब्द अधिनियमित किए गए हों।  
<sup>3</sup>] \* (2) \* \* \*

(3) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आवेदन के लिए फीस वही होगी जो न्यायालय फीस अधिनियम 1870 (1870 का 7) के अधीन प्रेसिडेंसी नगर की सीमाओं से बाहर जिला न्यायाधीश से ऐसे आवेदन के लिए होती है और उक्त धारा की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाहियों में सम्मनों और अन्य आदेशिकाओं के लिए फीस प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1882 (1882 का 15) की चतुर्थ अनुसूची में उपवर्णित मान के अनुसार देय होगी। ]

<sup>4</sup> [ 35. | भाग ख राज्यों की कतिपय विधियों के प्रति निर्देश। ] 1951 के अधिनियम सं0 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा निरसित।

1. 1888 के अधिनियम सं. 11 की धारा 1 द्वारा जोड़ा गया।
  2. 1914 के अधिनियम सं. 7 की धारा 10 द्वारा अंतःस्थापित।
  3. विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा उपधारा (2) का लोप किया गया।
  4. 1948 के अधिनियम सं. 45 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित, तत्पश्चात् विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।

**विक्रेता :** (1) प्रकाशन व विक्रय प्रबन्धक, विधि साहित्य प्रकाशन, भारतीय विधि संस्थान भवन,  
भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001  
(2) प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110054

